2-

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगो
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 228/2018 तारीख दायरा 04.09.201

उनवान

1. परमानन्द आयु 43 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति किराड निवासी ग्राम लसेडिया कलां तहसी सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।
2. रामभरोस आयु 40 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति किराड निवासी ग्राम लसेडिया कलां तहसी सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।
3. कमलकुमार मेहता आयु 26वर्ष पुत्र मदनलाल जाति किराड निवासी ग्राम लसेडिया क तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान । – व

बनाम

1. मदनलाल पुत्र काना उर्फ कन्हैयालाल जाति किराड निवासी ग्राम लसेडिया कलां तह सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।
2. मंजूबाई पुत्री मदनलाल पत्नि मेघराज जाति किराड निवासी ग्राम लसेडिया कलां तह सांगोद जिला कोटा हाल निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राज.।
3. ममता बाई पुत्री मदनलाल पत्नि बेणीराम जाति किराड निवासी ग्राम लसेडिया कलां तह सांगोद जिला कोटा हाल निवासी ग्राम नियाणा तहसील बांरा जिला बांरा राज.।
4. शान्ति बाई पत्नि मदनलाल जाति किराड निवासी ग्राम लसेडिया कलां तहसील सांगोद।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान । – प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:30 IST
Reason: SelfAttested

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188,209 आर.टी. एक्ट

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

उपस्थित :–

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादी) दिनॉक :– 13.01.2021

श्री जितेन्द्र कुमार (वकील प्रतिवादी)

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 की पुश्तैनी आराजी ग्राम लसेडियाकलां तहसील सांगोद में स्थित है जो निम्न प्रकार है–

जमा बन्दी संख्या नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
74	79	7	0.01 है.
		8	1.92 है.
		205	0.37 है.
		229 / 525	0.20 है.

कुल किता 4 की 2.50 हैक्टर आराजी

माल ग्राम खडिया तहसील सांगोद की आराजी–

जमाबन्दी संख्या नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
138	132	968	[illegible]16 है.
		970 / [illegible]	[illegible]08 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद जिला कोटा

975/1	0.08 है.
976	0.52 है.
981	1.44 है.
982/1	0.04 है.

कुल किता 6 की कुल 2.32 हैक्टर

ग्राम कमोलर की आराजी–

खाता सं. नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
298	299	1518	1.42 है.
		1550	0.48 है.

कुल किता 2 की 1.90 हैक्टर आराजी

उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 को वादीगण के दादा जी स्वर्गीय काना उर्फ कन्हैयालाल जाति किराड निवासी लसेडिया कलां तहसीलें सांगोद जिला कोटा राज. से प्राप्त उक्त वर्णित आराजी वादीगण व प्रतिवादी 1 ता 4 की पुश्तैनी आराजी है, जिसको वादीगण व प्रतिवादी क्रम. 1 संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है, प्रतिवादी क्रम 4 वादीगण की मां है व प्रतिवादी क्रम 3 व 4 की वादीगण की बहनें है प्रतिवादी नं.5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद है।

यह कि वाद पत्र की मद नं. 1 मे वर्णित आराजी वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1ता 4 की पुश्तैनी आराजी है जिसमे वादीगण 1 ता 4 प्रतिवादी नं.1 के हिस्से आराजी मे बहक पुत्र होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से पिता की सम्पति मे बराबर के हकदार होने से वादीगण वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादीगण का नाम खाते में प्रतिवादी नं.1 के हिस्से में बराबर का हिस्सेदार होने से अपना–अपना हिस्सा खाते में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

यह कि वादीगण ही प्रतिवादी नं. 1 व 4 की सेवा सुषुक्षा कर रहे हैं और वादीगण का विवाह भी प्रतिवादी नं. 1 व 4 द्वारा ही [illegible] आज भी वादीगण व प्रतिवादी 1 व 2 एक ही परिवार के निवासी है, वादीगण अपने परिवार [illegible] अपने बच्चो की परवरिश व अपने परिवार का गुजर बसर उक्त वर्णित आराजी में [illegible] हिस्से को शान्ति पूर्वक काश्त करके परिवार चलाते आ रहे थे परन्तु इस वर्ष वादीगण द्वारा फ[illegible] कटवाने के लिए जाने पर प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

क्रम 1 ने वादी को फसल काटने से मना कर दिया वादीगण ने बहुत समझाया लेकिन आराजी में हिस्सा देने से इनकार कर दिया और सम्पूर्ण आराजी को विक्रय करने की कही और अन्यत्र लोगो को बेचने पर आमादा है तथा आराजी से बेदखल करने की कही वादीगण ने प्रतिवादी नं.1 से अपने बच्चो की पढाई लिखाई व अन्य कृषि आराजी को काश्त करने के लिए रूपयो की आवश्यकता होने की कही परन्तु प्रतिवादी नं.1 द्वारा वादी की एक नही सुनी इस पर वादीगण ने प्रतिवादी नं. 4 से कहने पर प्रतिवादी नं.1 ता 4 ने भी असमर्थता जताई वादीगण ने प्रतिवादी नं. 1 से इस वर्ष राजस्व लोक अदालत शिविर कमोलर मे दिनांक 14/6/2018 को चलने की कही लेकिन प्रतिवादी 1 ता 4 दोनों शिविर मे उपस्थित नहीं हुए इस कारण वादीगण के लिए माननीय न्यायालय मे दावा प्रस्तुत करना आवश्यक होने से वादीगण द्वारा वाद पेश किया गया है।

यह कि वाद पत्र की मद नं. 1 मे वर्णित आराजी मे निहित अपने हिस्से की आराजी की उपज को बेचकर बच्चो की पढाई लिखाई व ईलाज व कृषि आराजी को काश्त करने के लिए रूपयो की आवश्यकता है वादी द्वारा उक्त आराजी की फसल बेचकर रूपये देने की कही तो प्रति वादी क्रम 1 ने साफ मना कर दिया और कहा मेरे खाते की आराजी में मेरी मर्जी में आयेगी वही करूंगा और सहयोग करने से साफ मना कर दिया इस पर वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1ता 4 से कहने पर उसने भी सहयोग से इन्कार कर दिया वादीगण पटवारी हलका महोदय के पास शिविर में अपना नाम खाते में दर्ज करवाने के लिये गये तो पटवारी हलका महोदय ने अदालत से आदेश लाने की कहने पर वादीगण के पास दावा प्रस्तुत करने के अलावा कोई उपाय नहीं है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावें कि –

ग्राम लसेडियाकलां तहसील सांगोद की आराजी–

जमा बन्दी संख्या नई	जमा बन्दी संख्या पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
74	79	7	0.01 है.
		8	1.92 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

205	0.37 है.
229/525	0.20 है.

कुल किता 4 की 2.50 हैक्टर आराजी

माल ग्राम खडिया तहसील सांगोद की आराजी–

जमाबन्दी संख्या नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
138	132	968	0.16 है.
		970/1	0.08 है.
		975/1	0.08 है.
		976	0.52 है.
		981	1.44 है.
		982/1	0.04 है.

कुल किता 6 की कुल 2.32 हैक्टर

ग्राम कमोलर की आराजी–

खाता सं. नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
298	299	1518	1.42 है.
		1550	0.48 है.

कुल किता 2 की 1.90 हैक्टर आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:30 IST
Reason: SelfAttested

उक्त पुश्तैनी आराजियात में हिन्दू उत्तराधिकार के आधार पर [illegible] प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का व प्रतिवादी नं. 1 को 1/6 हिस्से व प्रतिवादी नं. 2 को 1/6 हिस्से का तथा प्रतिवादी न.3 को 1/6 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा साथ ही राजस्व रेकार्ड मे वादीगण 1 ता 3 व प्रतिवादी न. 1 ता 3 के नाम उक्तानुसार दर्ज करने की कृपा करें। यदि दौराने

उपखण्ड अधिकारी

वाद पत्र प्रतिवादी न.1 आराजी को खुर्दबुर्द कर दे तो वादीगण को अपने हिस्से आराजी पर पुनः कब्जा दिलवाया जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण 1 ता 3 की ओर से श्री वकील जितेन्द्र कुमार सुमन ने उपस्थित होकर इकबालिया जवाब दावा मय राजीनामा पेश किया जिसमें वादी का वाद राजीनामे के अनुसार स्वीकार किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं होने का उल्लेख किया। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा न्यायालय में पढकर सुनाया गया, सभी पक्षकारान ने सहमति व्यक्त की।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया ओर पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात जवाब दावा,राजस्व रेकार्ड,राजीनामा इत्यादि का अवलोकन करने पर राजीनामे के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि–

माल ग्राम लसेडियाकलां तहसील सांगोद में स्थित है जो निम्न प्रकार है–

जमा बन्दी संख्या

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
74	79	7	0.01 है.
		8	1.92 है.
		205	0.37 है.
		229 / 525	0.20 है.

कुल किता 4 की 2.50 हैक्टर आराजी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:30 IST
Reason: SelfAttested

माल ग्राम खडिया तहसील सांगोद की आराजी–

जमाबन्दी संख्या

उप[illegible] अधिकारी
साँगो[illegible] कोटा

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
138	132	968	0.16 है.
		970/1	0.08 है.
		975/1	0.08 है.
		976	0.52 है.
		981	1.44 है.
		982/1	0.04 है.

कुल किता 6 की कुल 2.32 हैक्टर

ग्राम कमोलर की आराजी–

खाता सं.	नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
	298	299	1518	1.42 है.
			1550	0.48 है.

कुल किता 2 की 1.90 हैक्टर आराजी

उक्त पुश्तैनी आराजियात में वादीगण को प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का व प्रतिवादी नं. 1 को 1/6 हिस्से व प्रतिवादी न. 2 को 1/6 हिस्से का तथा प्रतिवादी न.3 को 1/6 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रकरण में वर्णित आराजी पर रहन होने की स्थिति प्रथम चार्ज बैंक का होने के कारण रहन यथावत रहेगा। यदि किसी [illegible] विशेष के स्वयं के हिस्से तक रहन है तो निर्णय के पश्चात रहन उक्त व्य[illegible] स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँभर [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
(अंजना सहरावत)
सांगोद जिला कोटा
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोट

निर्णय आज दिनांक 13.01.2021 को खुले न्यायालय मे लि[illegible]ाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:30 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा